आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी *(आयुष)* मंत्रालय

मांग संख्या 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2006.51	28.21	2034.72	2107.10	23.70	2130.80	2190.50	6.70	2197.20	2445.55	0.21	2445.76
वसूलियां	*-503.42*	...	-503.42	*-504.43*	...	*-504.43*	*-504.43*	...	*-504.43*	*-506.00*	...	*-506.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1503.09**	**28.21**	**1531.30**	**1602.67**	**23.70**	**1626.37**	**1686.07**	**6.70**	**1692.77**	**1939.55**	**0.21**	**1939.76**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.69	...	23.69	38.00	...	38.00	29.60	...	29.60	40.29	...	40.29
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	57.70	...	57.70	62.49	...	62.49	60.49	...	60.49	59.50	...	59.50
3. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	3.25	...	3.25	5.69	...	5.69	4.95	...	4.95	5.50	...	5.50
4. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.87	0.21	3.08	4.40	0.20	4.60	4.60	0.20	4.80	4.55	0.20	4.75
5. कार्यालय भवन का अधिग्रहण	...	28.00	28.00	...	23.00	23.00	...	6.50	6.50	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**87.51**	**28.21**	**115.72**	**110.58**	**23.20**	**133.78**	**99.64**	**6.70**	**106.34**	**109.84**	**0.20**	**110.04**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण												
6. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	10.97	...	10.97	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
7. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.13	...	5.13	5.00	...	5.00	4.98	...	4.98	5.00	...	5.00
8. आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.41	...	1.41
9. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10. होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
11. मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन	0.36	...	0.36	1.36	...	1.36	...	...	...	...	...	...
12. सूचना, शिक्षा एवं संचार	31.07	...	31.07	34.00	...	34.00	64.00	...	64.00	52.60	...	52.60
13. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	14.54	...	14.54	13.00	...	13.00	15.81	...	15.81	16.00	...	16.00
14. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.09	...	1.09	1.80	...	1.80
15. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आरओटीपी/सीएमई)												
16. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	8.47	...	8.47	6.00	...	6.00	5.98	...	5.98	6.00	...	6.00
जोड़-आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण	**76.06**	**...**	**76.06**	**71.36**	**...**	**71.36**	**101.86**	**...**	**101.86**	**92.31**	**...**	**92.31**
17. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.01	...	50.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**76.06**	**...**	**76.06**	**71.36**	**...**	**71.36**	**101.86**	**...**	**101.86**	**142.32**	**...**	**142.32**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
18. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	3.22	...	3.22	4.50	...	4.50	3.89	...	3.89	3.40	...	3.40
19. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	3.94	...	3.94	5.10	...	5.10	5.00	...	5.00	5.50	...	5.50
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**7.16**	**...**	**7.16**	**9.60**	**...**	**9.60**	**8.89**	**...**	**8.89**	**8.90**	**...**	**8.90**
स्वायत्त निकाय												
20. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	216.01	...	216.01	252.91	...	252.91	286.41	...	286.41	292.31	...	292.31
21. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	112.15	...	112.15	109.50	...	109.50	113.50	...	113.50	118.53	...	118.53
22. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	133.65	...	133.65	130.00	...	130.00	147.00	...	147.00	152.65	...	152.65
23. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान												
23.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	29.35	...	29.35	32.00	...	32.00	47.28	...	47.28	39.98	...	39.98
23.02 एचईएफए ऋण पर ब्याज भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
23.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	*29.35*	...	*29.35*	*32.00*	...	*32.00*	*47.28*	...	*47.28*	*40.00*	...	*40.00*
24. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता												
24.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	51.85	...	51.85	46.00	...	46.00	54.40	...	54.40	49.98	...	49.98
24.02 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	*51.85*	...	*51.85*	*46.00*	...	*46.00*	*54.40*	...	*54.40*	*50.00*	...	*50.00*
25. अन्य स्वायत्त निकाय												
25.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	323.88	...	323.88	336.29	...	336.29	322.66	...	322.66	368.96	...	368.96
25.02 एचईएफए ऋण पर ब्याज भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
25.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
जोड़- अन्य स्वायत्त निकाय	*323.88*	...	*323.88*	*336.29*	...	*336.29*	*322.66*	...	*322.66*	*369.00*	...	*369.00*
जोड़-स्वायत्त निकाय	**866.89**	**...**	**866.89**	**906.70**	**...**	**906.70**	**971.25**	**...**	**971.25**	**1022.49**	**...**	**1022.49**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
26. आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश	...	...	...	...	0.50	0.50	...	...	...	...	0.01	0.01
अन्य												
27. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	489.81	...	489.81	504.43	...	504.43	504.43	...	504.43	506.00	...	506.00
28. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से पूरी की गई राशि	-489.81	...	-489.81	-504.43	...	-504.43	-504.43	...	-504.43	-506.00	...	-506.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. वास्तविक वसूलियां	-13.61	...	-13.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-13.61**	**...**	**-13.61**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**860.44**	**...**	**860.44**	**916.30**	**0.50**	**916.80**	**980.14**	**...**	**980.14**	**1031.39**	**0.01**	**1031.40**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
30. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	479.08	...	479.08	504.43	...	504.43	504.43	...	504.43	506.00	...	506.00
31. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...	150.00
जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	**479.08**	**...**	**479.08**	**504.43**	**...**	**504.43**	**504.43**	**...**	**504.43**	**656.00**	**...**	**656.00**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**479.08**	**...**	**479.08**	**504.43**	**...**	**504.43**	**504.43**	**...**	**504.43**	**656.00**	**...**	**656.00**
कुल जोड़	***1503.09***	***28.21***	***1531.30***	***1602.67***	***23.70***	***1626.37***	***1686.07***	***6.70***	***1692.77***	***1939.55***	***0.21***	***1939.76***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1000.48	...	1000.48	1041.14	...	1041.14	1133.98	...	1133.98	1228.24	...	1228.24
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	23.69	...	23.69	38.00	...	38.00	29.60	...	29.60	40.29	...	40.29
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	28.21	28.21	...	23.70	23.70	...	6.70	6.70	...	0.21	0.21
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1024.17**	**28.21**	**1052.38**	**1079.14**	**23.70**	**1102.84**	**1163.58**	**6.70**	**1170.28**	**1268.53**	**0.21**	**1268.74**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	83.00	...	83.00	107.92	...	107.92	94.02	...	94.02
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	476.52	...	476.52	433.00	...	433.00	408.33	...	408.33	568.00	...	568.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.40	...	2.40	7.53	...	7.53	6.24	...	6.24	9.00	...	9.00
जोड़-अन्य	**478.92**	**...**	**478.92**	**523.53**	**...**	**523.53**	**522.49**	**...**	**522.49**	**671.02**	**...**	**671.02**
कुल जोड़	**1503.09**	**28.21**	**1531.30**	**1602.67**	**23.70**	**1626.37**	**1686.07**	**6.70**	**1692.77**	**1939.55**	**0.21**	**1939.76**

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वोस्त गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाोने संरक्षण और पर-स्थातने कृषि को प्रोत्साहन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मपक कृषि स्कीमें चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलु खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्यीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्योपैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्थान पर स्वऔदेशी औषधों का पता लगाना।

4. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्ताकयुक्तय नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्ताीयुक्तक नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

5. **कार्यालय भवन का अधिग्रहण:** राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा निर्मित और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निरीक्षित पूर्वी किदवई नगर परियोजना, नई दिल्ली के पुनर्विकास में 16095 वर्ग फुट तैयार कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए प्रावधान रखा गया है।

6. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता:** ख्याति प्राप्त आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्नयन उत्कृष्टता स्तर तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्ताावों को सहायता प्रदान करना।

7. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सावभ्यासियोंके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

8. **आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वाधर संरचना सृजित करना।

9. **आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास:** इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

10. **होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति:** होम्योपैथी चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद , भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भेषज संहिता समिति और भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण एंड एच प्रयोगशालाओं के प्रशासन और वित्तीय मामलों का समन्वय करना।

11. **मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन:** आयुष उत्पादों की उपलब्धता, मांग, उपयोग और व्यापार में सुधार करना।

12. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्ना मीडिया चैनलों के माध्येम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों की बीच जागृति उत्पन्न करना।

13. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीयय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्साक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वानस्यो समस्या्ओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थांपना करना।

14. **एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए सांस्थानिक तंत्रविकसित करना।

15. **आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्यांवसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।

16. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** अग्रतादत्तप बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ताय के लिए वैज्ञानिक साक्ष्योंक को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टि कोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।

17. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर/अस्पताल की स्थापना और आयुष ग्रिड के कौशल विकास और स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।

18. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योपैथी के केंद्रीय पंजीकरण का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्यता को शामिल करने के लिए प्रत्यतक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा12क के संदर्भमें नए कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।

19. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नातकपूर्व एवं स्नाातकोत्तार शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके भाचिप कॉलेजों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्याताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना(iii) भारतीय चिकित्सा की योग्योताओं को मान्यता प्रदान करना (iv) चिकित्साकभ्याासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्याकवसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्सालभ्यारसियों को नामांकन/प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

20. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्साि पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यि,क अनुसंधान और प्रलेखन।

21. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योापैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

22. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिकक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

23. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं डाक्टरोपरांत (एमडी/पीएचडी) शिक्षा के लिए मानक तैयार करना।

24. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठायक्रम चलाना।

25. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें (i) आयुर्वेद स्नातरोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षम संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली (iv) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई (v) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलोर (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली (vii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (viii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएएच), शिलांग (ix) पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट (x) राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (xi) राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान तथा (xii) राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

26. **आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश:** आईएमपीसीएल, मोहान,उत्तराखंड जो सरकारी अस्पतालों और औषधालयों को एएसयू औषधों की आपूर्ति के लिए उत्पादन करता है, के लिए प्रावधान शामिल है।

30. **राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम):** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नएयन, पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से वैश्विपक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध कराना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, औषधि परीक्षण का उन्नसयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पा़दन करना (v) विपणन के पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।